उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-147/2018/1897/26-3-2018-10(07)/2012
लखनऊ: दिनांक: 15 जून 2018

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-122/2018/1096/26-3-2018-10(07)/2012, दिनांक-18.04.2018 के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत रू0-130.00 लाख (रू0-एक करोड़ तीस लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-18.04.2018 के प्रस्तर-2 की दूसरी पंक्ति में उल्लिखित अनुदान संख्या-83 के स्थान पर अनुदान संख्या-81 पढ़ा जाय। शासनादेश संख्या-122/2018/1096/26-3-2018-10(07)/2012, दिनांक-18.04.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

पृ0 संख्या-147/2018/1897(1)/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।